सं. 4-6/2015-बीपी-2(कल्याण संस्थान)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 7 मई, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही (अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक) हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

मुझे वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही (अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक) के लिए कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत 18 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल(प्रति माह)	गेहूं (प्रति माह)
1.	छत्तीसगढ़	1900.00	100.00
2.	दिल्ली	17.60	27.97
3.	हरियाणा	0	19.72
4.	जम्मू व कश्मीर	500.00	500.00
5.	कर्नाटक	1323.20	567.08
6.	केरला	148.55	63.67
7.	मध्य प्रदेश	0	625.00
8.	महाराष्ट्रा	1900.00	4500.00
9.	मेघालय	118.06	0
10.	मिज़ोरम	79.44	0
11.	सिक्किम	11.39	0
12.	तमिलनाडु	3224.40	0
13.	वेस्ट बंगाल	188.42	80.75
14.	तेलंगाना	2406.00	0
15.	गोवा	27.60	11.84
16.	नागालैंड	104.00	44.61
17.	ओडिशा	1117.50	0
18.	अंडमान व निकोबार	4.00	1.83
	कुल	13070.16	6542.47

2. अप्रैल, 2015 से मई, 2015 के माह के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से क्रमश: 45 और 50 दिनों तक होगी और जून, 2015 से सितम्बर, 2015 की अवधि के लिए यह सरकार के तत्काल निर्देश के अनुसार होगी।

3. भारतीय खाद्य निगम उपरोक्त तालिका में प्रत्येक राज्य के सामने किए गए उल्लेख के अनुसार खाद्यान्न (चावल और गेहूं) जारी करेगा। खाद्यान्नों की उक्त मात्रा संबंधित राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न की लागत के पूर्व-भुगतान पर राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी गोदाम/डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश दिए जाएं और इस विभाग को भी तदनुसार सूचित किया जाए।

भवदीय,

संदीप सक्सेना

(संदीप सक्सेना)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, छत्तीसगढ़, दिल्ली हरियाणा जम्मू व कश्मीर कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्रा मेघालय मिज़ोरम सिक्किम तमिलनाडु वेस्ट बंगाल तेलंगाना गोवा नागालैंड ओडिशा और अंडमान व निकोबार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि खाद्यान्न वैधता अवधि के भीतर उठाए जाएं और राज्य के वास्तविक लाभार्थियों/छात्रावासों/कल्याण/चेरीटेबल संस्थानों को और वितरित किया जाए।
2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. संचलन-1/नीति-1/अवर सचिव(बीपी-3)/गार्ड फाईल।